कार्यालय– जिला न्यायालय अपलेखन एवं प्रतिस्थापन समिति अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ०ग०)

क्रमांक क्यू / जि०न्या०अप० एवं प्रति०स०/2025 अम्बिकापुर, दिनांक 06/03/2025

//सूचना//

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अम्बिकापुर, परिवार न्यायालय अम्बिकापुर तथा व्यवहार न्यायालय सीतापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) में पदस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि इस स्थापना के कम्प्यूटर सामग्री का दिनांक 09/03/2025 को प्रातः 10:30 बजे नीलामी कार्यवाही की जानी है। अतः जो भी अधिकारी/कर्मचारी उपरोक्त कम्प्यूटर सामग्री क्रय करने हेतु इच्छुक हों, तो दिनांक 09/03/2025 को प्रातः 10:30 बजे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अम्बिकापुर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर नीलामी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।

नीलामी कार्यवाही की शर्तें निम्नानुसार हैः–

1. नीलामी कार्यवाही में मात्र प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अम्बिकापुर, परिवार न्यायालय अम्बिकापुर तथा व्यवहार न्यायालय सीतापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) में वर्तमान पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी ही भाग ले सकते हैं।
2. नीलामी कार्यवाही हेतु अधिकारी/कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से नीलामी कार्यवाही में उपस्थित रहना होगा तथा अधिकारी/कर्मचारी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने एवं बोली लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
3. नीलामी हेतु इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वे नीलामी में बोली लगाने से पूर्व नीलामी उपकरणों को स्थल में स्वयं देख परख लें। नीलामी के पश्चात यदि कोई कमी इंगित की जाती है, तो वह मान्य नहीं होगी।
4. नीलामी के उपकरण नीलामी स्थल पर जहां है, जैसे है के आधार पर नीलामी की जायेगी।
5. कार्यवाही में प्रत्येक उपकरण की न्यूनतम राशि नियत की गई है। नीलामी कार्यवाही के दौरान नीलाम हेतु रखे गये उपकरण की जो भी व्यक्ति द्वारा अधिकतम बोली लगाएगा, उसे उक्त उपकरण उसके द्वारा बोली लगायी गयी राशि पर विक्रय किया जावेगा।
6. अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को तदुपरांत 10 मिनट की समयावधि में बोली लगायी गयी राशि का भुगतान नगद रूप में सेल अमीन को किया जावेगा, जिसकी रसीद सेल अमीन द्वारा प्रदान की जावेगी।
7. क्रेता कर्मचारी/अधिकारी तथा सेल अमीन द्वारा प्रारूप E के अनुरूप प्रमाण पत्र दो प्रति में हस्ताक्षरित किया जावेगा, जिसकी एक प्रति क्रेता कर्मचारी/अधिकारी को प्रदान की जावेगी तथा द्वितीय प्रति कार्यालयीन अभिलेख हेतु सुरक्षित रखी जावेगी।
8. नीलामी की स्वीकृत राशि को केवल नगद माध्यम से ही स्वीकार किया जायेगा।

9. क्रेता कर्मचारी/अधिकारी द्वारा निर्धारित 10 मिनट की समयावधि में राशि का भुगतान करने में असफल रहने अथवा प्रारूप E का प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करने से इन्कार किये जाने पर संबंधित उपकरण के संबंध में उक्त कर्मचारी/अधिकारी द्वारा लगायी गयी बोली की नीलामी कार्यवाही को निरस्त मानते हुए उक्त उपकरण की पुनः नीलामी कार्यवाही की जावेगी, जिसमें उक्त कर्मचारी/अधिकारी को पुनः बोली लगाने से निर्हरित किया जावेगा।

10. क्रेता कर्मचारी/अधिकारी को राशि अदायगी एवं प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित किये जाने के उपरांत स्वयं के व्यय पर तत्काल क्रय किये गये कम्प्यूटर उपकरण को अपने साथ ले जाना होगा।

11. विवाद होने की दशा में अपलेखन/प्रतिस्थापन समिति का निर्णय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अम्बिकापुर के अनुमोदनाधीन अंतिम रहेगा।

06/3/2025

(सुमित कपूर)
अध्यक्ष
अपलेखन/प्रतिस्थापन समिति
जिला न्यायालय अम्बिकापुर